

पीएम श्री केवी नं. 3 जालंधर कैंट

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए),

इस विद्यालय ने एनडीएमए के सभी निर्देशों और नीतियों का अनुपालन किया है। विद्यालय द्वारा एनडीएमए से संबंधित गतिविधियां नियमित रूप से की जाती हैं।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए विद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है।

1. स्कूल ने स्कूल आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) को अंतिम रूप दे दिया है
2. विद्यालय ने सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया है
3. विद्यालय ने वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित की है
4. विद्यालय में विभिन्न बिंदुओं पर अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं
5. स्कूल स्थानीय भवन उपनियमों (स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित) के अनुसार सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
6. इस विद्यालय को आरटीई नियम 2010 के उप-नियम (4) - नियम 15 के तहत "मान्यता प्रमाण पत्र" जारी किया गया है (केवल संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले स्कूलों के लिए)
7. छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारियों में नियमित प्रशिक्षण लेते हैं।
8. विद्यालय में आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है।